रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 10 जुलाई, 2002/19 आषाढ़, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

मण्डी, 13 जून, 2002

संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०-3302-3307.—जिला अंकेक्षण अधिकारी, मण्डी द्वारा ग्राम पंचायत चोलथरा के अवधि 29-1-1996 से 7-1-2002 तक के लिए किए गये विशेष अंकेक्षण में निम्न गम्भीर आपत्तियां प्रकाश में आई हैं :—

1. यह कि व्यय रसीद संख्या 53 जिसकी प्रविष्टी रोकड़ के पृष्ठ 111 पर दिनांक 3-9-1997 को की गई है के अनुसार रास्ता चलौली हेतु दो ट्रक बजरी व एक ट्रक रेत की ढुलवाई 450/- रुपये प्रति ट्रक की दर से 1350/- रुपये व्यय दर्शाया गया है जबकि व्यय रसीद संख्या 61 जिसकी प्रविष्टी रोकड़ के पृष्ठ 3 पर की गई है, के अनुसार 3 ट्रक रेत बजरी की ढुलवाई 350/- रुपये प्रति ट्रक की दर से मुबलिग 1050/- रुपये दर्शाई गई है, एक ही कार्य हेतु 2 विभिन्न दरों से रेत की ढुलवाई का कोई औचित्य नहीं है। इस कार्य हेतु आमन्त्रित निविदायें भी संदिग्ध प्रतीत

होती हैं, क्योंकि प्राप्त निविदाओं का अक्षर विन्यास तथा पेपर पैड भी एक समान प्रतीत होते हैं। सम्भवतः कोटेशनस एक ही व्यक्ति से प्राप्त की गई। इस प्रकार 3 ट्रकों से रेत, बजरी की ढुलवाई पर मुबलिग 100/- रुपये प्रति ट्रक अधिक अदायगी के आधार पर 300/- रुपये की राशि के छलहरण का मामला स्पष्ट बनता है। सम्बन्धित व्यय रसीदों में ढुलवाई गई निर्माण सामग्री की प्रति ट्रक अनुसार मात्रा का भी उल्लेख नहीं है।

2. यह कि अकेक्षण के दौरान पंचायत के लेखों की जांच करने पर गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आई कि पंचायत द्वारा किए गये समस्त व्यय ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुमोदित नहीं हैं, जो कि न केवल वित्त नियम 4 की स्पष्ट उल्लंघना है अपितु पंचायत की स्वीकृति बिना किए गये समस्त व्यय अनियमित अदायगी की संज्ञा में आते हैं। अतः यह व्यय संदिग्ध हैं। पंचायत द्वारा मास के दौरान किए गये व्यय आगामी ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना प्रधान, ग्राम पंचायत का दायित्व है। पंचायत की बैठक का एजैन्डा प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः गत बैठक की पुष्टि के पश्चात् प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार किए गये व्यय के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

3. यह कि रोकड़ के पृष्ठ 200 दिनांक 16-12-2000 को प्रविष्ट किए व्यय रसीद संख्या 138 बावत मुरम्मत रास्ता थड़ (सरोठ) में तीन मजदूरों को मस्ट्रोल पर दर्शाया गया है। श्री बालक राम जिनका नाम मस्ट्रोल के क्रमांक 1 पर अंकित है, दिनांक 8-8-2000 से 15-8-2000 तक कार्य पर दर्शाया गया है, जबकि उनके बाद कार्य पर लगे सर्वश्री रोशन लाल व ज्ञान चन्द जिनका नाम मस्ट्रोल में क्रमांक 2 व 3 पर अंकित है की कार्य पर उपस्थिति 1-8-2000 से 15-8-2000 तक लगाई गई है। सम्बन्धित मस्ट्रोल गम्भीर अनियमितता का स्वयं साक्ष्य प्रमाण है। इस प्रकार प्रधान, ग्राम पंचायत जिन्होंने उक्त मजदूरों को मजदूरी की अदायगी की है, मस्ट्रोल के क्रमांक 2 व 3 पर दिनांक 1-8-2000 से 7-8-2000 तक 14 दिन की 51/- रुपये की दर से 714/- रुपये की अनियमित अदायगी दर्शाने के लिए व्यक्तिगत रूप में दोषी हैं।

4. यह कि हिमाचल ग्रामीण बैंक, चोलथरा के लेखा संख्या 1842 से प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15-9-2000 को मुबलिग 11,426/- रुपये की निकासी की गई है, परन्तु उपरोक्त राशि की निकासी सम्बन्धी प्रविष्टी तुरन्त ग्राम पंचायत के रोकड़ में न कर यह राशि अपने हाथ में दिनांक 16-10-2000 तक रखी, क्योंकि उक्त राशि की निकासी सम्बन्धी प्रविष्टी रोकड़ के दिनांक 16-10-2000 को की गई है, इस प्रकार प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा राशि का निजी हित में उपयोग करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

5. यह कि निर्माण पक्का रास्ता भगलाणा हेतु व्यय रसीद संख्या 127, दिनांक 30-10-1999 को रसीद दो टैम्पू रेत मु0 2200/- रुपये तथा व्यय रसीद संख्या 159, दिनांक 22-11-2000 के अनुसार क्रय 2 टैम्पू बजरी मु0 2200/- रुपये का व्यय ग्राम पंचायत के रोकड़ में दर्शाया गया है परन्तु उक्त निर्माण सामग्री का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं है न ही यह निर्माण सामग्री स्थल पर उपलब्ध है। इस निर्माण सामग्री के उक्त निर्माण कार्य पर उपयोग की पुष्टि भी नहीं होती, क्योंकि उक्त निर्माण सामग्री क्रय करने के पश्चात् कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। इस प्रकार मु0 4400/- रुपये छलहरण का स्पष्ट मामला बनता है।

6. यह कि निर्माण रास्ता कोठी से श्मशानघाट निर्माण हेतु निम्न निर्माण सामग्री की खरीद व्यय रसीद संख्या 156, दिनांक 29-4-2000 के अन्तर्गत व्यय की प्रविष्टी ग्राम पंचायत के रोकड़ में की गई है :—

क्र0 सं0	विवरण निर्माण सामग्री	मात्रा	मूल्य
			रुपये
1.	बजरी	1 गाड़ी	1200.00
2.	रेत	1 गाड़ी	1200.00
3.	बजरी	1 गाड़ी	1200.00
4.	बजरी	1 ट्राली	700 00
5.	बजरी	1 गाड़ी	1200,00
		कुल राशि ..	5500 00

उक्त रास्ता निर्माण हेतु 32 बैग सीमेंट क्रय किया गया है । निर्माण कार्य पर उपयोग किए गए सीमेंट की तुलना में ऊपर वर्णित निर्माण सामग्री की खपत अधिक दर्शाई गई प्रतीत होती है । अंकेक्षण के दौरान उक्त कार्य का प्राक्कलन नक्शा मूल्यांकन रिपोर्ट तथा पूर्ति प्रमाण-पत्र पंचायत अभिलेख में उपलब्ध नहीं है । जिससे उक्त निर्माण सामग्री के सदोपयोग की पुष्टि हो सके । ग्राम पंचायत द्वारा गाड़ी या ट्राली द्वारा प्राप्त निर्माण सामग्री की स्पष्ट मात्रा का भी उल्लेख व्यय रसीद में नहीं किया गया है । उक्त कार्य पर उपयोग की गई निर्माण सामग्री का तकनीकी मूल्यांकन करवाये जाने की आवश्यकता है, ताकि उपयोग की गई निर्माण सामग्री के बारे में सन्तुष्ट हुआ जा सके ।

7. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यों पर अनुदान राशि से अधिक राशि ग्राम सभा निधि से व्यय की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है : —

क्र0 सं0	विवरण योजना	स्वीकृत अनुदान	व्यय राशि	ग्राम सभा निधि से व्यय
		रुपये	रुपये	रुपये
1.	निर्माण कुंआ रोपड़	17000.25	21624.30	4624.05
2.	निर्माण पक्का रास्ता संरोठा कबाली	18999.00	19619.00	620.00
			कुल अधिक व्यय ..	5244.05

मुबलिग 5244.05 जो उपरोक्त निर्माण कार्यों पर ग्राम सभा निधि से व्यय किए गए हैं एक गम्भीर अनियमितता का मामला है, जिसके लिए प्रधान, ग्राम पंचायत अदायगी कर्ता उत्तरदायी है । अतः सभा निधि से व्यय राशि प्रधान, ग्राम पंचायत से वसूली योग्य है ।

8. यह कि निर्माण पक्का रास्ता गांव मकेहड़ के मस्ट्रोल मास 9/2000 जिसकी प्रविष्टी J. R. Y. रोकड़ के पृष्ठ 13 पर की गई के अनुसार मु0 4734.50 की अदायगी मस्ट्रोल व्यय रसीद

संख्या 2 द्वारा की गई दर्शायी गई है । सम्बन्धित मस्ट्रोल के क्रमांक 1 पर अंकित श्री दिले राम को 9-9-2000 से 15-9-2000 तक कार्य पर उपस्थित दर्शा कर प्रथम सितम्बर से 8 सितम्बर तक लाईन लगाई गई है तथा बाद में लाईन पर 1-9-2000 से 8-9-2000 तक उपस्थितियां अंकित की गई हैं । इसी मस्ट्रोल में क्रमांक 2 से 5 तक लगे मजदूरों को भी 1-9-2000 से 15-9-2000 तक कार्य पर उपस्थित दर्शाया गया है । जबकि इन मजदूरों की उपस्थिति 9-9-2000 से 15-9-2000 तक दर्शाई जानी चाहिए थी । इस प्रकार कार्य पर लगे मिस्त्री क्रमांक 1 की 8 उपस्थितियां अधिक दर्शाकर व क्रम संख्या 2 से 5 तक अंकित मजदूरों की 24 उपस्थितियां अधिक दर्शाकर मु0 1744/- रुपये का छलहरण किया गया है, क्योंकि अदायगी प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा की गई है तथा सम्बन्धित मस्ट्रोल प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित है तथा रोकड़ में भी सम्बन्धित प्रविष्टी के सत्यापित करते हुए लघु हस्ताक्षर किए गए हैं । इसलिए राशि के छलहरण का दायित्व प्रधान, ग्राम पंचायत पर है।

अतः मैं, जगदीश चन्द शर्मा, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य निमय, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रधान, ग्राम पंचायत चोलथरा, विकास खण्ड धर्मपुर को एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि वे उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण आपत्तियों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें । नियत समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा इस सम्बन्ध में विधि अनुसार आगामी कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी ।

जगदीश चन्द शर्मा,
उपायुक्त
मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

कारण बताओ नोटिस

शिमला, जून, 2002

संख्या पीसीएच-एसएमएल (4) 196/85.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर के माध्यम से प्राप्त ग्राम सभा वाहली के प्रस्ताव संख्या-2, दिनांक 6-1-2002 तथा प्रस्ताव संख्या-2, दिनांक 7-4-2002 के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत वाहली, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) निम्न तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत की धनराशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने के दोषी पाये गए हैं :—

1. यह कि उक्त प्रधान श्री महेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम पंचायत, वाहली के बागीचे की 7950 रु0 की राशि श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव वाहली (ठेकेदार) से 8-7-2001 को वसूल की गई थी तथा उक्त प्रधान द्वारा यह राशि 8-7-2001 से अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी गई है, जबकि यह ग्राम पंचायत के बचत खाते में जमा करवाई जानी थी, अथवा सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंपी जानी थी ।
2. यह कि उक्त प्रधान द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वाहली के 2 कमरों के निर्माणार्थ सामग्री क्रय करने हेतु 16-1-2002 को 30000 रुपये की राशि अग्रिम रूप में प्राप्त की गई थी जिसका लेखा जोखा ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत वाहली को आज तक नहीं सौंपा गया है और न ही कमरों के निर्माणार्थ यह राशि सामग्री क्रय करने पर उपयोग की गई है, जिस कारण स्कूल भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त प्रधान श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत वाहली, ग्राम पंचायत फण्ड व सरकारी धन राशि को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने, दुरुपयोग करने तथा अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाने में दोषी पाये गये हैं ।

अतः मैं सत्य पाल, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री महेन्द्र सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत वाहली, तहसील रामपुर, जिला शिमला को इस आशय से कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना स्पष्टीकरण खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि उसे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-140 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

सत्य पाल,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला ।

कार्यालय भू-व्यवस्था अधिकारी, शिमला मण्डल, शिमला-171 009

अधिसूचना

बाबत तज़वीज़ अक्साम आराजी

शिमला-171009 27 जून, 2002

नम्बर रैव0 (एस0 टी0) एस0 एम0 एल0/ए0 को0-1/2002–234.—नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला में कार्य भू-व्यवस्था अर्थात् विशेष पुनरावृत्ति भू-अभिलेख आरम्भ किया जा चुका है । वर्त्तमान बन्दोबस्त में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम-4 और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (विशेष) निर्धारण नियम, 1986 के नियम–4 के अतर्गत नगर पंचायत कोटखाई में जिस कदर अक्साम आराजी प्रयुक्त करने की प्रस्तावना है, उनका परिभाषा सहित विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है :—

"कृष्ट"

असींचित

1. बाखल अव्वल	वर्षा पर आधारित ऐसी भूमि जो मकानों आदि के साथ विद्यमान है और ऐसी भूमि में साल में दो या दो से अधिक फसलें काश्त की जाती हैं।
2. बागीचा बाखल अब्बल फलदार	वर्षा पर निर्भर ऐसी भूमि जिसमें फलदार पौधे सेब, पलम, खुमानी, आड़ू, नाख, बादाम आदि लगा रखे हैं और फल दे रहे हैं।
3. बागीचा बाखल अब्बल बिला फलदार	उक्त परिभाषित किस्म नम्बर-2 जैसी भूमि, परन्तु उसमें लगे पौधे अभी छोटे हैं और इसीलिये वे अभी फल नहीं दे रहे हैं।

"अकृष्ट"

1. बंजर जदीद	ऐसी भूमि जो पहले काश्त की जाती थी, परन्तु उसी साल बिला काश्त हो चुकी है।
2. बंजर कदीम	ऐसी भूमि जो पहले काश्त की जाती थी, परन्तु अब निरन्तर पांच सालों/दस फसलों से काश्त नहीं की जा रही है।

3. घासनी	मालिकान की ऐसी निजी भूमि जो घास-कटाई के लिये प्रयुक्त होती है।
4. वन	ऐसी भूमि जो मालिकान की निजी मलकीयत है और उसका प्रयोग बतौर जंगल किया जा रहा है।
5. बनी	मालिकान की ऐसी निजी मलकीयती भूमि जिसमें बान, मौहरू आदि झाड़ीनुमा पत्तीदार पौधे आदि इस्तादा हैं।
6. चरागाह द्रख्तान	सरकार की मलकीयत की ऐसी भूमि जिसे बतौर चरान्द प्रयुक्त किया जाता है तथा भूमि में द्रख्तान इस्तादा हैं।
7. चरागाह बिला द्रख्तान	सरकार की मलकीयत की ऐसी भूमि जिसका प्रयोग बतौर चरान्द होता है तथा ऐसी भूमि में द्रख्तान इस्तादा न हो।
8. नरसरी	सरकार की मलकीयत की ऐसी भूमि जिसमें पौधशाला लगाई जाती है।
	नोटः—यदि मालिकान की निजी मलकीयत में नरसरी लगाई गई हो तो उस भूमि की किस्म बाखल अब्बल दर्ज करके काश्त स्वयं मालिक/मालिकान दर्ज की जायेगी।
9. जाये सफेद	मालिकान की एसी निजी भूमि जिसे खाली रखा गया है। जो भूमि मकान या दुकान आदि बनाने के लिये खाली पड़ी है, उसे भी इसी किस्म में शामिल किया जायेगा।
10. जाये सरकार	उक्त परिभाषित किस्म नम्बर-9 जैसी भूमि, परन्तु ऐसी भूमि सरकार की मलकीयत हो।
11. गैर मुमकिन सैहन	मालिकान की ऐसी निजी मलकीयती भूमि जिसे बतौर आंगन प्रयुक्त किया जाता है।
12. गैर मुमकिन खण्डहर	ऐसी भूमि जिसमें पहले मकान आदि बनाये गये थे, परन्तु वर्त्तमान में ऐसे भवनों की दीवारें आदि ही तहस नहस स्थिति में मौजूद हैं।
13. गैर मुमकिन गड्ढा खाद	मालिकान की ऐसी निजी मलकीयती भूमि जहां गली सड़ी पत्तियों व गोबर की देशी खाद रखने के लिये गड्ढा बना रखा है।
14. गैर मुमकिन फुलवाडी	ऐसी भूमि जिसमें फूल उगाये/लगाये जाते हैं। यदि इस किस्म की भूमि सैहन के साथ मौजूद हो तो उसे सैहन में ही पैमूद किया जायेगा।
15. गैर मुमकिन खलिहान	ऐसी भूमि फसल से टाण्डा-भूसा व अनाज/दालें आदि उगाहनें व सुखाने के लिये प्रयुक्त की जाती है।
16. गैर मुमकिन मकान	ऐसी भूमि जिसमें बने कच्चे/पक्के, एक मंजिला, बहुमंजिला भवन की प्रयुक्तता रिहायश अथवा किराया पर रिहायश देने के लिये होती है।
	नोटः—भूमि की इस किस्म में गौशाला, रसोई-घर, शौचालय, स्नान गृह, सैप्टिक टैंक, वाटर टैंक, सीढ़ियां व गोदाम आदि शामिल तसम्बर किये जायेगें।
17. गैर मुमकिन दुकान	ऐसी भूमि जिसमें बने कच्चे/पक्के, एक मंजिला/बहुमंजिला भवन का प्रयोग बतौर दुकान होता है। भूमि की इस किस्म में खोखा भी शामिल है।
18. गैर मुमकिन दुकान व मकान	ऐसी भूमि जिसमें बने कच्चे/पक्के, एक मंजिला/बहुमंजिला भवन का प्रयोग बतौर दुकान भी होता है और उस भवन के कुछ भाग का प्रयोग रिहायश के लिये भी होता है।
19. गैर मुमकिन होटल	ऐसी भूमि जिसमें बने कच्चे/पक्के, एक मंजिला/बहु-मंजिला भवन का प्रयोग बतौर होटल होता है। भूमि की इस किस्म में टी-स्टाल भी शामिल है।
20. गर मुमकिन रैस्टोरैन्ट	ऐसी भमि जिसमें बने कच्चे/पक्के, एक मंजिला/बहुमंजिला भवन का प्रयोग बतौर रैस्टोरैन्ट किया जाता है।
21. गैर मुमकिन होटल व रैस्टोरेन्ट	ऐसी भूमि जिसमें बने कच्चे/पक्के एक मंजिला/बहुमंजिला भवन का प्रयोग कुछ भाग में बतौर होटल और कुछ भाग में बतौर रैस्टोरेन्ट किया जाता है।
22. गैर मुमकिन कारखाना	ऐसी भूमि जिसमें किसी प्रकार का उद्योग चलाया जा रहा है।

नोट:–भूमि की इस किस्म में हर प्रकार के कारखाना/उद्योग में लोहा, वस्त्र, स्टील, ब्रैड आदि के उद्योग के अतिरिक्त बिजली से चलने वाले आरा मशीन, धान- कुट्टी कोहलू, आटा–पिसाई, रूई पिंजाई आदि भी शामिल हैं।

23. गैर मुमकिन घाट — ऐसी भूमि जसमें पानी से चलने वाले घाट लगे हैं। ऐसे घाटों का यह अन्दाज करना आवश्यक होगा कि साल में घाट किस कदर जारी रहता है।

24. गैर मुमकिन गैरेज — ऐसी भूमि जहां वाहन खड़े रखने के लिये कच्चा या पक्का ढांचा आदि तैयार कर रखा है।

25. दीगर गैर मुमकिन — उपरोक्त दर्शाई गई गैर मुमकिन की अक्साम के अतिरिक्त जिस कदर भी मौका पर गैर मुमकिन किस्में पाई जायेंगीं उन पर भू-राजस्व नहीं लगेगा, इसलिये किस्म आराजी दीगर गैर मुमकिन दर्ज की जायेगी और कोष्ठक में किस्म मौका दर्ज की जायेगी। जैसे दीगर गैर मुमकिन (गली, नाला, नाली, सड़क, रास्ता, विश्राम-गृह कार्यालय, बस अड्डा इयादि-इत्यादि।

अतः नगर पंचायत कोटखाई, जिला शिमला के भू-राजस्व दाताओं को हिमाचल प्रदेश भू- राजस्व (साधारण) निर्धारण नियम, 1984 के नियम–14 के अर्थानुसार इस अधिसूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी महानुभाव को उक्त प्रस्तावित अक्साम आराजी के बारे यदि कोई आपत्ति हो या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो इस अधिसूचना की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को प्रेपित करें, विहित अवधि व्यतीत हो जाने पर किसी भी प्रकार का उजर/एतराज या सुझाव मान्य नहीं होगा और नियमानुसार उक्त अक्साम आराजी को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

हस्ताक्षरित/-
एल0 आर0 मोहिल,
भू- व्यवस्था अधिकारी,
शिमला-मण्डल, शिमला-9.

कार्यालय उपायुक्त जिला सिरमौर, स्थित नाहन

कार्यालय आदेश

नाहन 19 जून, 2002

संख्या पी0 सी0 एन-एस0एम0आर0 (विविध) (5) 85/99-4.–यह कि श्री लायक राम, प्रधान, ग्राम पंचायत गवाली, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर के विरुद्ध ग्राम पंचायत के धनराशि का दुरुपयोग का मामला खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

यह कि, श्री लायक राम, प्रधान, ग्राम पंचायत गवाली, विकास खण्ड शिलाई, के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों का निर्माण हुआ है। उन कार्यों में मूल्यांकन से अधिक राशि व्यय दर्शाकर निम्न मदद अनुसार राशि का छलहरण एवं दुरुपयोग किया है।

मद्द–1 (जे0 जी0 एस0 वाई0).–इस मद्द के अन्तर्गत मु0 10,000/– रुपये निर्माण खेल मैदान राजकीय प्राईमरी पाठशाला मानल का निर्माण हेतु स्वीकृत/प्रावधान रखा गया। जिसमें से पूर्ण राशि मु0 10,000/– रु0 अग्रिम प्रधान श्री लायक राम को दर्शाया गया। जबकि मु0 4168/– रु0 का वास्तविक कार्य होना पाया गया। इस प्रकार इस योजना में मु0 5832/– रुपये अधिक निकाल कर राशि दुरुपयोग की गई।

मद्द–2 (जे0 जी0 एस0 वाई0).–इस मद्द के अर्न्तगत मुरम्मत कूहल क्यारका के निर्माण हेतु मु0 15,000/– रुपये का प्रावधान रखा गया । मौका पर कार्य नहीं पाया गया । पूर्ण राशि मु0 15,000/– रुपये अग्रिम प्रधान के नाम दर्शाया गया पाया । इस प्रकार मु0 15,000/– रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया ।

मद्द–3 (जे0 जी0 एस0 वाई).–इस मद्द में निर्माण पक्की गली पशमी के निर्माण हेतु मु0 10,000/– रुपये की राशि का स्वीकृत/प्रावधान रखा गया । जिसमें से पूर्ण राशि मु0 10,000/– रुपये अग्रिम प्रधान के नाम दर्शाया पाया गया । जबकि मु0 4784/– रुपये का ही वास्तविक कार्य होना पाया गया । इस प्रकार इस योजना में मु0 5216/– रुपये की राशि अधिक निकाल कर दुरुपयोग किया गया ।

मद्द–4 (जे0 जी0 एस0 वाई0).–इस मद्द के अर्न्तगत निर्माण जोहड़ पशमी के निर्माण हेतु मु0 10,000/– रुपये की स्वीकृति/प्रावधान रखा गया । जिसमें से पूर्ण राशि मु0 10,000/– रु0 अग्रिम प्रधान के पास दर्शाया पाया गया । जबकि मु0 4863/– रुपये का ही वास्तविक कार्य होना पाया गया । इस प्रकार मु0 5137/– रुपये की राशि अधिक निकालकर दुरुपयोग की गई ।

मद्द–5 (जे0 जी0 एस0 वाई0).—इस मद्द में निर्माण सिंचाई टैंक, मानल के निर्माण हेतु मु010,000/– रुपये को स्वीकृति/प्रावधान रखा गया है । जिसमें से पूर्ण राशि मु0 10,000/– रुपये अग्रिम प्रधान के पास दर्शाया पाया गया । जबकि मु0 6910/– रुपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया । इस प्रकार मु0 3090/– रुपये की राशि अधिक निकालकर दुरुपयोग किया गया ।

मद्द–6 (जे0 जी0 एस0 वाई0).–इस मद्द में निर्माण सांझा आंगन, पशमी के निर्माण हेतु मु0 25,000/– रुपये की राशी स्वीकृति/प्रावधान रखा गया । जिसमें से पूर्ण राशि मु0 25,000/– रुपये अग्रिम प्रधान के पास दर्शाया गया । जबकि मु0 14525/– रुपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया । इस प्रकार मु0 10,475/– रुपये की राशि अधिक निकालकर दुरुपयोग किया गया ।

मद्द–7 (जे0 जी0 एस0 वाई0).—इस मदद के अन्तर्गत निर्माण पक्की गली, मुनोई के निर्माण हेतु मु0 10,000/– रुपये की स्वीकृति/प्रावधान रखा गया । जिसमें से पूर्ण मु0 10,000/– रुपये अग्रिम प्रधान के पास दर्शाया पाया गया । जबकि मु0 9515/– रुपये का ही वास्तविक कार्य होना पाया गया । इस प्रकार मु0 485/– रुपये की अधिक राशि निकालकर दुरुपयोग किया गया ।

इस प्रकार सातों मदों के मूल रिपोर्ट जो खण्ड विकास अधिकारी शिलाई द्वारा प्राप्त है, की अनुबन्ध 'घ' की प्रति सम्बन्धित को भी भेजी जानी आवश्यक है ।

अतः मैं ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 142 (1) (2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लायक राम, प्रधान, ग्राम पंचायत, गवाली, विकास खण्ड शिलाई ज़िला सिरमौर को प्रधान पद से इस आदेश के जारी होने की तारीख से निलम्बित करता हूं और यह भी आदेश देता हूं कि, यदि उनके पास ग्राम पंचायत का कोई रिकार्ड या सम्पत्ति हो तो, उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एंवम विकास अधिकारी को सौंपें।

नाहन–173001, 19 जून, 2002

क्रमांक.–पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (विविध) (5) 85/99-4.—यह कि श्री चमेल सिह, प्रधान ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की धनराशि का दुरुपयोग एवं छलहरण किया गया पाया गया जैसा कि खण्ड विकास अधिकारी शिलाई द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।

यह कि श्री चमेल सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई के कार्यकाल के दौरान निम्न मद अनुसार कार्य होना पाया गया जिसमें प्रधान धनराशि के छलहरण एवं दुरुपयोग में संलिप्त पाये गये ।

मद–1 (जे0जी0 एस0 वाई0).––इस योजना के अन्तर्गत निर्माण पक्की गली हरिजन बस्ती डाका के निर्माण हेतु मु0 28500/– रुपये का प्रावधान रखा गया परन्तु मौके पर कार्य नहीं पाया गया । इस प्रकार मु0– 28500/– रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है।

मद–2(11वां वित्त आयोग).––इस मद के अन्तर्गत मु0–16000/– रुपये निर्माण पक्का रास्ता प्रा0 पा0 से निचली बान्दली का स्वीकृत/प्रावधान रखा गया मौका पर थोड़ा कार्य हुआ है । जिसके बिल वाऊचर/अग्रिम राशि ग्राम पंचायत को नहीं सौपें गये है । इस प्रकार मु0–16000/– रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है।

मद–3 (जे0 जी0 एस0 वाई0).––इस मद के अर्न्तगत मु0–7000/– रुपये मुरम्मत सिंचाई टैंक पण्डोग के निर्माण हेतु स्वीकृत/प्रावधान रखा गया । जिसमें से पूर्ण राशि मु0–7000/–रुपये अग्रिम प्रधान श्री चमेल सिंह को दर्शाया गया है जबकि मु0 2452/– रुपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया । इस प्रकार इस योजना में मु0–4548/– रुपये अधिक निकाला गया है ।

मद–4(दसवां वित्तायोग).––इस मद के अन्तर्गत मु0–10,000/– रुपये निर्माण साईड ड्रैन (गन्दी नाली) ग्राम कुफर का स्वीकृत/प्रावधान रखा गया है । जिसमें मे पूर्ण राशि मु0–10000।– रुपये अग्रिम प्रधान श्री चमेल सिंह को दर्शाया गया है, जबकि मु0–4266/– रुपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया । इस प्रकार इस योजना में मु0–5734।– रुपये अधिक निकाला गया है।

मद–5–(जे0 जी0 एस0 वाई0):––इस मद के अन्तर्गत मु0–20,000/– रुपये निर्माण सिंचाई कूहल पंडोग के नाला से बड़ियार तक का निर्माण हेतु स्वीकृत/प्रावधान रखा गया जिसमें पूर्ण राशि मु0–20,000/– रुपये अग्रिम प्रधान श्री चमेल सिंह को दर्शाया गया जबकि मु0–10913/– रुपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया। इस प्रकार इस योजना में मु0 9087/– रुपये अधिक निकाल कर राशि का दुरुपयोग किया गया है ।

मद-6 (11 वां वित्तायोग):––इस मद के अन्तर्गत मु0-3000/- रुपये निर्माण पशु खुरलीग्राम भगयारी का स्वीकृत प्रावधान रखा गया, जिसमें से पूर्ण राशि मु0 3000/- रुपये प्रधान श्री चमेल सिंह को अग्रिम दर्शाया गया जबकि मु0-2062/- रुपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया है । इस प्रकार इस योजना में मु0-938/-रुपये अधिक निकाल कर राशि का दुरुपयोग किया गया है।

मद-7 (दसवां वित्तायोग).––इस मद के अन्तर्गत मु0-15,000/-रुपये निर्मण खच्चर रास्ता काण्डों धार से धधास का स्वीकृत/प्रावधान रखा गया । जिसमें से पूर्ण राशि मु015,000/- रुपये प्रधान श्री चमेल सिंह को अग्रिम दर्शाया गया, जबकि मु0-2965/-रुपये का वास्तविक कार्य होना पाया गया है । इस प्रकार इस योजना में मु0- 12035/- रुपये अधिक निकाल कर राशि का दुरुपयोग किया गया है ।

मद–8 (जे0 जी0 एस0 वाई0).––इस मद के अन्तर्गत मु0–12,000/– रुपये निर्माण साझा आंगन धधास का स्वीकृत/प्रावधान रखा गया, जिसमें से पूर्ण राशि मु0–12,000/–प्रधान श्री चमेल सिंह को अग्रिम दर्शाया गया है । जबकि मु0–2743/– रुपये का ही वास्तविक कार्य होना पाया गया है । इस प्रकार इस योजना में मु0–9257/– रुपये की राशि अधिक निकाल कर दुरुपयोग की गई है।

इस प्रकार आठों मदों के मूल रिर्पोट जो खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई द्वारा प्राप्त है की अनुबन्ध ("ख") की प्रति सम्बन्धित को भी भेजी जानी आवश्यक है।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम–1994 की धारा –145 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम–1997 के नियम 142 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चमेल सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई को प्रधान पद से इस आदेश के जारी होने की तारीख से निलम्बित करता हूं और यह भी आदेश देता हूं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत का कोई रिकार्ड या सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंप दें ।

ओंकार शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

सोलन, 15 जून, 2002

संख्या 3-162/82-सी0एस0-2348-2403.––पिछले सभी आदेशों व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भरत खेड़ा (भारतीय प्रशासनिक सेवा), जिला दण्डाधिकारी, सोलन निम्नलिखित वस्तुओं के सभी करों सहित प्रत्येक के समक्ष दर्शाए गए अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करता हूं:—

क्रम सं0	अनुसूची संख्या	वस्तु का नाम	थोक मूल्य	परचून मूल्य
1	2	3	4	5
			रु0 पैसे	रु0 पैसे
1.	2	1. ब्रैड वजन 400 ग्राम	7.00	8.00
		2. ब्रैड वजन 800 ग्राम	14.00	15.00
2.	12	मांस/चिकन/मछली :		रु0 पै0
		1. मीट बकरा		80.00 प्रति कि0 ग्राम
		2. ब्रायलर ड्रैस्ड		80.00 ”
		3. चिकन ड्रैस्ड		70.00 ”
		4. मुर्गा जीवित		60.00 ”
		5. मीट सुअर		50.00 ”
		6. मछली कच्ची		50.00 ”
3.	7	होटल/ढाबा में परोसा जाने वाला खाना :		
		1. (क) खाना 4 चपाती दाल व सब्जी सहित	16.00 रुपये प्रति खुराक	
		(ख) पूरी खुराक दाल, सब्जी, चपाती व चावल सहित ।	20.00 रुपये प्रति खुराक	

1	2	3	4	5
		2. स्पैशल सब्जी, राजमाह, चना, भिण्डी, गोभी, शिमला मिर्च व आलू मटर ।	12.00 रुपये प्रति प्लेट	
		3. मटर पनीर व पालक पनीर	15.00 रुपये प्रति प्लेट	
		4. चावल परमल	8.00 रुपये प्रति प्लेट	
		5. चपाती (तवे की)	1.50 रुपये प्रति चपाती	
		6. चपाती (तन्दूरी)	2.00 रुपये प्रति चपाती	
		7. दाल फ्राईड	8.00 रुपये प्रति प्लेट	
		8. मीट पका हुआ 200 ग्राम	30.00 रुपये प्रति प्लेट	
		9. चिकन पका हुआ	25.00 रुपये प्रति प्लेट	
		10. दहीं रायता (200 ग्राम)	7.00 रुपये प्रति प्लेट	
		11. चाय	3.00 रुपये प्रति प्याला	
		12. समोसा	3.00 रुपये का एक	
		13. परौंठा भरा हुआ दहीं सहित	5.00 रुपये प्रति	
		14. दो पूरी सब्जी व दहीं के साथ	5.00 रुपये प्रति प्लेट	
4.	10	दूध/दहीं व पनीर :		
		1. स्टैंडर्ड मिल्क	16.00 रुपये प्रति लीटर	
		2. टोण्ड मिल्क	13.00 रुपये प्रति लीटर	
		3. डबल टोण्ड मिल्क	12.00 रुपये प्रति लीटर	
		4. स्कीमड मिल्क	11.00 रुपये प्रति लीटर	
		5. दहीं	20.00 प्रति किलोग्राम	
		6. पनीर	74.00 प्रति किलोग्राम	
	2	ठण्डे पेयजल :		
		1. बोतल वाले पेयजल चिल्ड	निर्माताओं द्वारा बोतल पर लिखी गई निर्धारित दर पर ।	

नोट:—सभी विक्रेताओं को उपरोक्त वस्तुओं की विक्री के लिखित/कैशमैमों देगा जिसकी डुप्लीकेट प्रति अपने रिकार्ड में निरीक्षण हेतु रखेगा ताकि सही भाव का पता चल सके ।

यह अधिसूचना पूरे सोलन जिला में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में छपने के एक मास तक लागू मानी जायेगी ।

प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान/ढाबे में उचित स्थान पर उपरोक्त सभी वस्तुओं जैसे खाना, चाय, दही, पनीर व मिठाईयों आदि की मूल्य सूची प्रदर्शित करेगा ।

भरत खेड़ा,
जिला दण्डाधिकारी,
सोलन, जिला सोलन ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित